अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

नवलकिशोर बनाम अनायतुला आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** — प्रकरण संख्या 54 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07.03.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 227/230 के ख0न0 808 की 2.7820 हैक्ट, खसरा न0 811 की 4.5150 हैक्ट कुल 7.2970 हैक्ट भूमि में से विशेष हिस्से का बेचना न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 08.04.2024 को पेश हो । [signature]	उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)
8/4/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. साहब .. अन्य कार्य में व्यस्त ... पत्रावली दि0 17/5/24 को पेश हो। [initial]	
17/5/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. साहब .. अन्य कार्य में व्यस्त ... पत्रावली दि0 29/7/24 को पेश हो। [initial]	
29/7/24	वकील सायल उपस्थित गैरसायल की तामील हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें पत्रावली दिनांक 26/9/24 को पेश हो [signature]	
16/8/24	वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई सायल के [illegible] किया की हम परस्पर [illegible] राजीनामा होने के कारण [illegible] नहीं चाहते है खारिज फरमावे सायल स्वयं के [illegible] अपना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [signature]	

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested